न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0– 18/2012

1. दुर्गादेवी पत्नि गिरधारीलाल 2. अम्बिका प्रसाद पुत्र गिरधारीलाल 3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गिरधारीलाल 4. ज्योति पुत्री गिरधारीलाल जाति ब्राहाम्ण निवासीगण 98, सेक्टर 12, सुरतगढ़ रोड़, हनुमानगढ़ जक्शन 5. मधु पुत्री गिरधारीलाल पत्नि झंवरलाल (पोस्टमास्टर) जाति शर्मा निवासी जैतसर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर

अपीलाण्ट......

–:बनाम:–

1. गौरीशंकर पुत्र हमीराराम जाति ब्राहाम्ण निवासी सुथारों की बड़ी गुवाड़ बीकानेर (फौत) 1/1 निर्मला उर्फ विला पत्नि स्व. गौरीशंकर 1/2 भंवरलाल पुत्र स्व. गौरीशंकर 1/3 झंवरलाल पुत्र स्व. गौरीशंकर 1/4. हरीओम पुत्र स्व. गौरीशंकर 1/5. कैलाश पुत्र स्व. गौरीशंकर 1/6. ओमप्रकाश पुत्र स्व. गौरीशंकर 1/7. छोटी बाई उर्फ भगवानी पुत्री स्व. गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी सुथारों निवासी सुथारों की बड़ी गुवाड़ बीकानेर

2. मोहनलाल पुत्र हमीराराम ब्राहम्ण निवासी बरकत कॉलोनी, किले के पास, हनुमानगढ़ टाउन।

3. दुर्गादेवी पुत्री हमीराराम पत्नि रूपाराम जाजड़ा निवासी बेलासर तहसील बीकानेर

4. लक्ष्मीदेवी पुत्री हमीराराम पत्नि द्वारका प्रसाद उपाध्याय निवासी पीपलीया बास रादेव जी मन्दिर के पास, देशनोक तहसील व जिला बीकानेर (फोत)

4/1. कांतादेवी पत्नि रामेश्वरलाल पंचारिया निवासी जोधयासी,बस स्टैण्ड के पास, जोधयासी जिला नागौर।

4/2. सुमित्रा पत्नि हरीकिशन जाजड़ा निवासी ब्राहाम्णों का मौहल्ला भीनासर बीकानेर

4/3. जसोदा पत्नि सुरेश शर्मा (ई–मित्र केन्द्र वाले) निवासी श्रीहनुमानजी मन्दिर के सामने गली के अन्दर ,गंगाशहर बीकानेर

4/4. शान्तिलाल पुत्र लक्ष्मीदेवी उपाध्याय निवासी पीपलिया बास ,रामदेवजी मन्दिर के पास ,देशनोक बीकानेर

4/5. नन्दकिशोर पुत्र लक्ष्मीदेवी उपाध्याय निवासी पीपलिया बास, रामदेवजी मन्दिर के पास, देशनोक जिला बीकानेर

5. नारायणी देवी पुत्री हमीराम पत्नि काशीराम पाईवाल निवासी कोलासर तहसील बीकानेर

6. रामेश्वरलाल पुत्र चम्पालाल उपाध्याय निवासी रेल्वें स्टेशन के पीछे, कर्मचारी कॉलोनी नोखा जिला बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

7. श्यामलाल पुत्र चम्पालाल उपाध्याय निवासी जाम्बों जी मन्दिर के पास ,नोखा जिला बीकानेर

8. बजरंग पुत्र चम्पालाल उपाध्याय निवासी चौपासनिया बास, देशनोक जिला बीकानेर

9. नर्मदा पुत्री चम्पालाल पतिन रेवन्तराम हलवाई पाणेचा निवासी हंसा गेस्ट हाउस के सामने वाली गली ,गंगाशहर बीकानेर (फौत)
9/1. रेवन्तराम पुत्र नामालूम 9/2. पप्पू बाई स्व.नर्मदा 9/3. गज्जू बाई पुत्री स्व. नर्मदा 9/4. चौरूलाल पुत्र स्व.नर्मदा 9/5. सुरेन्द्र पुत्र स्व.नर्मदा जाति पाणेचा निवासी रामदेव जी मन्दिर के सामने वाले गली कार–जीप टैक्सी स्टेण्ड के पीछे, नई लाईन गंगाशहर तहसील बीकानेर

10. शान्ति पुत्री चम्पालाल पत्नि भंवरलाल जाति जोशी निवासी बस स्टेण्ड के पास , अलाय तहसील व जिला नागौर।

11. भगवती पुत्री चम्पालाल पत्नि ओमप्रकाश पंचारिया निवासी गांव भगवानदास गुड़ा तहसील व जिला नागौर

12. श्यामलाल पुत्र गिरधारीलाल ब्राहाम्ण निवासी सुथारों की बड़ी गुवाड़ बीकानेर

13. राजस्थान राज्य जरियें तहसीलदार राजस्व बीकानेर।

....रेस्पोडेंट्सान ......

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति अभिभाशकः–

1. श्री बच्छराज कोठारी, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री हरिकिशन उपाध्याय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0–
3. पेरोकारराज, राज्य की ओर से।

–:निर्णयः–

दिनांक–16/03/2020

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन इन्तकाल न.1030 दिनांक 5.7.2011 ग्राम मेघासर रोही का ग्राम पंचायत कोलासर तहसील बीकानेर जिसके अनुसार अपीलान्ट के ससुर व दादा स्व. हमीराराम के हिस्से की खातेदारी भूमि को अकेले रेस्पोडेन्ट न. 1 व 2 के हक में गलत रूप से रिलीज की जाकर इन्तकाल जैर अपील के द्वारा दर्ज की गई। आदेश इन्तकाल जेर अपील कानुन के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत है।

संक्षेप में अपील प्रकरण के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा रोही मेघासर तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा न. 729,734,735,79,742,742,746,747,782,1032/676,571,577,578,651,652,654,655,662,663,667,668,669,670,671,672,674,678,679,680,685,702,723,724,726,728 कुल किता 37 तादादी 79.54 हेक्टर भूमि में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पूर्वज हमीराराम का

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

के हिस्सा था। स्व. हमीराराम के कुल तीन पुत्र 1 स्व. गिरधारीलाल, 2. गौरीशंकर लालचन्द तथा चार पुत्रिया 1. दुर्गादेवी 2. लक्ष्मीदेवी 3. नारायणी देवी तथा 4. स्व. राधादेवी हुए। स्व. हमीराराम के पुत्र पुत्रियों के अपीलान्टान के पति व पिता स्व. गिरधारीलाल का निधन हो गया जिनके वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न.12 गौरीशंकर लालचन्द हुए है तथा हमीराराम की एक पुत्री राधादेवी का भी निधन हो चुका है। जिनके वारिसान रेस्पोडेन्ट न.6 से 11 हैं तथा स्व. हमीराराम जी की पुत्री दुर्गादेवी रेस्पोडेन्ट न.3 है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 12 का 1/16 हिस्से में 1/7 हिस्सा है तथा इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट न. 1/5 का 1/16 हिस्से में 1/7 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट न. 6 से 11 का 1/16 में 1/7 हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट न. 3 ता 11 ने उपरोक्त खातेदारी भूमि में तिहित अपने स्सि को रेस्पोडेन्ट न. 1 व 2 के हक में जरिये रिलीज डीड दिनांक 15.3.2011 को रिलीज कर दिया जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकारी को रिलीज नही किया जा सकता। रिलीज डीड दिनांक 15.3.2011 अवैध,इलिगल एवं शून्य है। रेस्पोडेन्ट न. 1 व 2 को उक्त रिलीज डीड से किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हुए। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचाय ने इन्तकाल जैर अपील तस्दीक किया है। हिन्दू लॉ एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि को कई हिस्सेदारों में से कोई भी एक हिस्सेदार अगर किी दुसरे हिस्सेदार के पक्ष में अपना हक छोड़ता या रिलीज करता है तो वह किसी अकेले सहहिस्सेदार के पक्ष में रिलीज हुए नही माना जाकर शेष सभी हिस्सेदारों के हक में रिलीज हुआ माना जायेगा। शेष सभी हिस्सेदारों का हिस्सा बढ़ जायेगा। इ प्रकार रेस्पोडेन्ट न.3 से 11 ने रेस्स्पोडेन्ट न.1 व 2 के हक में वादगत खातेदारी भूमि में हित अपने हिस्से को जरिये रजिस्ट्रर्ड रिलीज डीड रिलीज किया हैं वह अकेले रेस्पोडेन्ट न 1 व 2 के हक में रिलीज हुआ नहीं माना जाकर शेष सभी सह हिस्सेदारों यानि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न 1 व 2 के हक में रिलीज हुआ माना जायेगा और इसी प्रकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट न 1 व 2 के नाम बराबर हिस्से किये जाने चाहिए थे, यानि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न 1 व 2 के हिस्से 1/16 का 1/3 हिस्सा का इन्तकाल दर्ज होना था। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना इन्तकाल जैर अपील अकेले रेस्पोडेन्ट न.1 व 2 के नाम दर्ज करने में कानुनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने अपीलान्अ एवं रेस्पोडेन्ट न. 12 को सूचित किये बिना इकतरफा तौर पर इन्तकाल जैर अपील दर्ज कर तस्दीक किया है। जबकि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 12 का वादगत खातेदारी भूमि में हित निहित है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये इन्तकाल जैर अपील की जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेन्ट न. 1 व 2 ने दिनांक 23.02.2012 को बताया कि अब वादगत भूमि में हमारा हिस्सा जयादा हैं हम उसे विक्रय

खण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

करायी। तब अपीलान्ट ने इन्काल न. 1030 की नकल पटवरी हल्का से दिनांक 24.2.2012 को प्राप्त की ।तब इन्काल जैर अपील की सर्वेप्रथम जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को इन्तकाल जैर अपील की कोई जानकारी नही थी। अतः इन्तकाल जैर अपील के विरूद्व अपील जानकार के दिन से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। इन्काल जैरा अपील इलिगल एवं अवैध,शुन्य होने से मियाद का बिन्दू गौण हो जाता है। इन्तकाल जैर अपील ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा अकेले के द्वारा तस्दीक किय गया है। आदेश जैर अपील ग्राम पंचायत की मिटिंग में पारित नही किया गया है इसलिए भी निरस्त करने योग्य है। धारा 5 मियाद प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। यह अपील दिनांक 14.03.12 को प्रस्तुत होने पर Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट को एकतरफा सुना जाकर वाके ग्राम रोही ग्राम मेघासर के ख.न. 729,734,735,79,742,742,746,747,782,1032/676,571,577,578,651,652,654,655,662, 663,667,668,669,670,671,672,674,678,679,680,685,702,723,724,726,728 कुल किता 37 तादादी 79.54 हेक्टर भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी की आगामी तारीख पेशी तक दोनो पक्ष मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने वास्ते जारी कर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 5.4.12 को पूर्व जारी नोटिस अदम तामिली से प्राप्त होने पर रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट स.6 की तरफ से श्री देवकिसन सुथार एड. ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट स. 1,2,4,5,7,10 व 11 के रजिस्टर्ड नोटिस इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए की लेने से इंकार। अतः इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये है। रेस्पो. स. 3,8,9 व 12 को रजिस्र्ड तलबाने प्रेषित करने के उपरान्त भी उपस्थित नही हुवे। इन्हे बार–बार अवाजे लगवाई गयी। अतः इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी और पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। दिनांक 30.7.12 को अस्थाई निषेधाज्ञा जो दिनांक 14.3.12 को जारी की गयी है मे संशोधित कर केवल हमीराराम के 1/16 हिस्से तक प्रभावी रखे जाने पर बहस सुनी गयी और दिनांक 07.8.2012 को आदेश दिया गया की अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज हमीराराम के 1/16 हिस्से की भूमि तक दोनो पक्ष मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगे। प्रकरण में रेस्पो.संख्या 4 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेत वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 27.6.12 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी और दिनांक 25.10.12 को वकील रेस्पों. स 6 ने नो–आब्जेक्शन करने पर न्यायहित में रेस्पो. स 4 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये और वकील अपीलांट को सशोधित टाईटल प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गयें। दिनांक 21.2.13 को अपीलांट द्वारा रेस्पो. स.4/1 ता 4/5 के रजिस्टर्ड तलबाना पेश किया। दिनांक 4/2 एवं 4/3 का वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पो. स.4/1,4/4,4/5 को रजि. तलबाना प्रेषित करने के बावजूद उपस्थित नही हुवे। इसलिए इनके विरूद्व इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है और पत्रावली वास्ते

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

बहस नियत की गयी। दिनांक 20.6.13 को श्री नरसाराम जाखड़ द्वारा प्रार्थना पत्र मय रिकार्ड आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया। वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश 22 नियम 4 व 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक वकील अपीलान्ट श्री हरिश कोठारी ने रेस्पो न.1 गौरीशंकर के स्वर्गवास होने पर दिनांक 8.6.17 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 151 सीपीसी एवं रेस्पो. न. 9 नर्मदा के स्वर्गसास होने पर दिनांक 22.12.17 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 पर बहस करे हुए रेस्पो. न. 1 व 9 के स्वर्गवास होने के कारण उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की इश्तदुआ की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो के क्रम में वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयीं व प्रस्तुत रिकार्ड व पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 8.6.17 व 22.12.17 आदेश 22 नियम 4 स्वीकार किया जाता है और वकील अपीलान्ट को प्रार्थना पत्रों के अनुसार संशोधित शीर्षक अपील प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया जाता है। रेस्पो.न. 1/3,9/1,9/4,9/4 व 9/5 स्वय तामिल तथा 1/7 की तामील पति पर होने एवं 9/2 व 9/3 की तामिल पिता पर होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 7.8.18 को वकील अपीलान्ट द्वारा रेस्पो.न.1/1,1/2,1/4,/5,1/6,1/7,9/2 व 9/3 के रजि. नोटिस की रसीदे प्रस्तुत की। दिनांक 12.9.18 को रेस्पो. न.1 1/1,1/2,1/3 व 1/6 एवं रेस्पो. न. 2 की तरफ से श्री हरिकिशन उपाध्याय वकील ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 28.8.19 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1/4,1/5,1/7,9/1 से 9/5 को रजि. नोटिस से तामील के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं होनें से इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। दिनांक 11.10.19 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 20.6.13 वकील प्रार्थी द्वारा नो इन्सट्रक्शन करने पर खारिज कर पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस नियत की गयी।

बहस सुनी गयी। प्रकरण में अपीलान्ट के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए इन्तकाल स.1030 दिनांक 05.07.2011 को अपास्त करने की मांग की और कहा की ग्राम मेघासर में संयुक्त खाते की 15–20 खसरों में 79.54 हैक्टर भूमि है। जिसमें अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट का हिस्सा है। इन्तकाल संख्या 1030 कें कॉलम संख्या 9 में गौरीशंकर पुत्र हमीराराम के 1/112 हिस्सा के विरूद्व पेश किया गया है। हमीराराम की संतान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 11 भी हमीराराम की पुत्रिया थी। जिससे रेस्पोडेन्ट न.1 व 2 एवं रेस्पोडेन्ट न. 3 ता 11 से जरिये रिलीज डीड प्राप्त हुई और कानूनी तौर पर रिलीज डीड का हिस्सा सह खातेदारों में सबके हिस्से में होता है। इन्तकाल दिनांक 5.7.11 को दर्ज हुआ है और अपील दिनांक 24.2.12 को पेश की गयी। हमें उसकी न तो जानकारी थी और न ही हमें बुलाया गया। जबकि कॉलम सख्या 11,12,13 में गिरवादर द्वारा विशेष टिप्पणी की गयी है और इस सम्बध में निम्न नजीर भी पेश की :–RRT 2014(1) (RB DB) पेज न.

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

509, AIR 1987 (SC) 1775 (A),RRD 1998 (Raj HC) 319 ,RBJ 1999 पेज 115 RRT 2004 (2) पेज 758 । वकील रेस्पोडेन्टगण ने बहस आरम्भ करते हुए कथन किया की हमीराराम के देहान्त के बाद उनके 4 पुत्र 3 पुत्रियों के नाम इन्तकाल दर्ज होने पर उनको रिलीज डीड की सुचना दी गई। अपीलान्ट द्वारा यह अपील 1 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी । हम अंब रिलीज डीड सभी भाईयों में करने के लिए तैयार है। परन्तु इन्तकाल न. 1030 को खारिज नहीं किया जावे। वकील अपीलान्ट ने वकील रेस्पोडेन्ट की बहस के प्रतिद्वता में दौराने बहस कथन किया की इन्तकाल संख्या 1030 अगर खारिज नहीं किया जाता है और तीनों भाईयों को हिस्सा दिया जाता है तो यह एक Admission है। जिसका विरोध करते हुए वकील अपीलान्ट ने कहा की अगर हिस्से बदले जाते है तो इन्तकाल संख्या और इन्तकाल प्रभावित होता ही है। राज पैरोकार ने राज्य हित को ध्यान मे रखते हुए निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

हमने अपील व बहस तथा उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया। मियाद के बिदूं पर अपीलाट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए। धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। इन्तकाल संख्या 1030 में गिरदावर द्वारा अंकन किया गया है कि "~~पुर्ण~~ निर्णय से पुर्व जांच आवश्यक है"। इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल स्वीकृत कर दिया गया। जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रथम दृष्टया ही अनुचित है। उपरोक्त तथ्यों के मध्य नजर यह अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इन्तकाल नम्बर 1030 दिनांक 05.07.2011 को निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार बीकानेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/3/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रिया केजरीवाल)
आईएएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.03.20 14:58:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: